"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—आश्विन 15, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सिरपुर, जिला महासमुन्द का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-13/2016/2.—श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान [HAG 67000- (annual increment @ 3%)-79000/-] में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. का अति. प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. इस विभाग के पत्र क्र. ई-1-13/2016/2, दिनांक 14-07-2016 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को प्रमुख सचिव वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-3 (2) (iii) के तहत 30 दिवस के भीतर सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है.

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ-9-21/2016/1-8/1-5.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती बी.व्ही. उमादेवी (भा.व.से.-1987), आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली की सेवाएं वन विभाग को सौंपते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, अरण्य भवन, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (भा.व.से.-1988), सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री संजय कुमार ओझा (भा.व.से.-1989), संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, (भा.प्र.से.-2004), संयुक्त सचिव, वन तथा सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री ईमिल लकड़ा, (भा.प्र.से.-2004), द्वारा आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भा.प्र.से.-2005), संचालक, जनसंपर्क, आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद केवल आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, (भा.प्र.से.-2004), संयुक्त सचिव, गृह विभाग तथा संचालक, संपदा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् संयुक्त सचिव, वन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री विजय कुमार धुर्वे, (भा.प्र.से.-2004), संयुक्त सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, संपदा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना

क्रमांक एफ 3-5/20-दो/2016.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के नियम अधिसूचित करता है.

मानव विकास में शिक्षा का सर्वोत्तम योगदान है, शिक्षा की महत्ता अतुलनीय है, शिक्षा के बिना न मानव, न राष्ट्र, न ही विश्व विकास कर सकता है. मानव को शिक्षित कर सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है. इसीलिए भारत में शिक्षकों का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है. अत: यह आवश्यक है कि इस महान कार्य में समर्पित शिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाय, इससे शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा और वे उत्कृष्ट शिक्षकीय कार्य हेतु तत्पर होंगे. शिक्षकों को मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण अंतर्गत "शिक्षादूत", "ज्ञानदीप" एवं "शिक्षा श्री" नामक पुरस्कार दिया जायेगा. पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रेरित करना है. पुरस्कार देने के संबंध में शासन निम्न नियम बनाता है :—

1. **शीर्षक एवं विस्तार.—**

(i) **संक्षिप्त नाम :—** इस नियम का संक्षिप्त नाम "उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान पुरस्कार नियम 2016" होगा. ये नियम प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे.

(ii) **पुरस्कार का स्वरूप :—** मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण अन्तर्गत निम्न पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे :—

(a) विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कार—विकासखण्ड "शिक्षादूत" पुरस्कार कहलायेगा.

(b) जिला स्तरीय पुरस्कार—जिला स्तरीय "ज्ञानदीप" पुरस्कार कहलायेगा.

(c) संभाग स्तरीय पुरस्कार—संभाग स्तरीय "शिक्षा श्री" पुरस्कार कहलायेगा.

(iii) **पुरस्कार हेतु निर्धारित सीमाक्षेत्र एवं शिक्षक संवर्ग :—** किस पुरस्कार हेतु किस क्षेत्र के शिक्षक एवं किस संवर्ग के शिक्षक पात्र होंगे इसके लिए निम्न निर्धारित किया जाता है :—

(a) "शिक्षादूत" पुरस्कार विकासखण्ड स्तर का पुरस्कार है, जिसमें प्राथमिक शाला (कक्षा 1 ली से 5वीं कक्षा तक) में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों.

(b) "ज्ञानदीप" पुरस्कार जिला स्तर का पुरस्कार है, जिसमें पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा तक) में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों.

(c) "शिक्षा श्री" पुरस्कार राजस्व संभाग स्तर का पुरस्कार है, जिसमें हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक) में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों.

2. **परिभाषायें/व्याख्यायें.—**

(i) "शिक्षक" से तात्पर्य शासकीय शालाओं में कक्षा 1ली से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक से है.

(ii) "उत्कृष्ट कार्य" से तात्पर्य शिक्षक द्वारा सम्पादित ऐसा पढ़ाने का कार्य जो सर्वश्रेष्ठ व असाधारण हो.

(iii) "शिक्षादूत" से तात्पर्य विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक को दिये जाने वाले "शिक्षा दूत" पुरस्कार से है.

(iv) "ज्ञानदीप" से तात्पर्य जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक को दिये जाने वाले "ज्ञानदीप" पुरस्कार से है.

(v) "शिक्षा श्री" से तात्पर्य राजस्व संभाग स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक को दिये जाने वाले "शिक्षा श्री" पुरस्कार से है.

(vi) "अनुशासनात्मक अधिकारी" से तात्पर्य उस अधिकारी/समिति से है जो शिक्षक को नियुक्त करने की उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो.

(vii) "नियंत्रणकर्ता अधिकारी" वह होगा जिसके सीधे नियंत्रण में शिक्षक कार्य करता हो. (जैसे प्रधान पाठक/प्राचार्य आदि)

3. ये नियम शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं के उन शिक्षकों को लागू होंगे जो शाला में छात्र-छात्राओं को अध्यापन कराते हों.

4. **उत्कृष्ट शिक्षक चयन हेतु समितियां.—** उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन हेतु निम्न समितियां होंगी :—

A. **पुरस्कारों हेतु संकुल स्तरीय प्रस्तावक समिति :—** प्रत्येक संकुल में एक समिति होगी जिसका गठन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

(1)	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्राचार्य	—	अध्यक्ष
(2)	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	—	उपाध्यक्ष
(3)	विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.)	—	सदस्य सचिव
(4)	व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)	—	सदस्य
(5)	प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक शाला)	—	सदस्य
(6)	संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयक (सी.आर.सी.सी.)	—	सदस्य
(7)	शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)	—	सदस्य
(8)	प्रधानपाठक (प्राथमिक शाला)	—	सदस्य
(9)	सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)	—	सदस्य

उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तें निम्न होगी :—

(i) अध्यक्ष एवं सदस्यों का शैक्षणिक अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए साथ ही उस संकुल में कम से कम 01 वर्ष से निरंतर कार्यरत हों.

(ii) अध्यक्ष/सदस्य के विरुद्ध कोई कोर्ट प्रकरण, विभागीय जाँच प्रचलित न हो.

(iii) इन्हें कोर्ट अथवा विभाग ने कभी कोई दंड से दंडित न किया हो.

(iv) इनका आचरण अच्छा हो, कोई अशोभनीय कृत्य संबंधी प्रकरण विचाराधीन न हो.

(v) शिक्षकीय कर्तव्यों का निर्वहन हेतु समर्पित हों.

(vi) अध्यापन कराने में कुशल हो.

B. **''शिक्षादूत'' पुरस्कार हेतु विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति :—** इस समिति का गठन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा. इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

(i)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	—	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल	—	सदस्य
(iii)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सचिव, एक सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.	—	सदस्य
(iv)	विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.)	—	सदस्य
(v)	व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)	—	सदस्य
(vi)	पूर्व माध्यमिक शाला का एक प्रधानपाठक	—	सदस्य
(vii)	प्रधान पाठक प्राथ. शाला	—	सदस्य

C. **''ज्ञानदीप'' पुरस्कार हेतु जिला स्तरीय चयन समिति :—** इस समिति का गठन आयुक्त राजस्व संभाग द्वारा किया जायेगा. इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

(i)	जिला कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(ii)	डिप्टी कलेक्टर	—	उपाध्यक्ष
(iii)	जिला शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य सचिव
(iv)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
(v)	डाइट का प्राचार्य या जिले का वरिष्ठ प्राचार्य	—	सदस्य
(vi)	सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	—	सदस्य
(vii)	एक सेवानिवृत्त शिक्षक या शासकीय अधि./कर्मचारी जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखता हो.	—	सदस्य

D. **''शिक्षा श्री'' पुरस्कार हेतु संभाग स्तरीय चयन समिति :—** इस समिति का गठन छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा. इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :—

(i)	संभागीय आयुक्त (राजस्व)	—	अध्यक्ष
(ii)	संभागीय उपायुक्त/सहायक आयुक्त	—	उपाध्यक्ष
(iii)	संभागीय मुख्यालय का जिला शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य

(iv)	डाइट का प्राचार्य	—	सदस्य सचिव
(v)	प्राचार्य हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल	—	सदस्य
(vi)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
(vii)	एक शिक्षाविद् जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिरूचि रखता हो	—	सदस्य

E. **समितियों का कार्य :—**

(a) **संकुल स्तरीय प्रस्तावक समिति का कार्य :—**

(i) यह समिति अतिमहत्वपूर्ण समिति है, इसके प्रस्ताव पर ही विचारोपरांत पुरस्कार दिये जायेंगे अस्तु इस समिति के द्वारा जमीनी स्तर पर विचार कर सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षकों का चिन्हांकन किया जायेगा तथा प्रस्ताव विकासखण्ड/जिला/संभाग को प्रेषित किया जायेगा.

(ii) प्रत्येक संकुल से शिक्षादूत पुरस्कार हेतु प्राथमिक शाला के 01 शिक्षक का चिन्हांकन किया जायेगा. चिन्हांकन पश्चात् सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा.

(iii) प्रत्येक संकुल से "ज्ञानदीप पुरस्कार" हेतु 01 पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक का चिन्हांकन किया जायेगा चिन्हांकन पश्चात् प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा.

(iv) प्रत्येक संकुल से शिक्षा श्री पुरस्कार हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के 01 व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत) का चिन्हांकन किया जायेगा, चिन्हांकन पश्चात् संभागीय आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा.

(b) **विकासखण्ड/जिला/संभाग स्तरीय मूल्यांकन समितियों का कार्य :—**विकासखण्ड, जिला एवं संभाग स्तरीय गठित समितियों में संकुलों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर उत्कृष्ट शिक्षक का चयन संबंधित पुरस्कार हेतु किया जायेगा. प्रत्येक स्तर (विकासखण्ड, जिला एवं संभाग) पर 03-03 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन होगा जिन्हें शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया जायेगा. यहां स्पष्ट किया जाता है कि सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत) के लिए विकासखण्ड स्तरीय "शिक्षा दूत" पुरस्कार दिया जाना है, जिला स्तर में शिक्षक/शिक्षक (पंचायत) को "ज्ञानदीप" पुरस्कार दिया जाना है तथा संभाग स्तर पर व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत) को "शिक्षा श्री" पुरस्कार दिया जाना है.

(c) **समितियों का कार्यकाल :—**सभी समितियों का कार्यकाल 03 वर्ष रहेगा, किसी कारण से समिति का पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए समिति गठन हेतु सक्षम अधिकारी पद की पूर्ति कर सकेगा.

5. **शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन :—** इन पुरस्कारों का मूल उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षकों को चिन्हांकित कर पुरस्कृत करना है जिसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के ऐसे कार्यों को देखा जाये जिससे वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही पुरस्कृत हो शिक्षा के मूल कार्य न करे या कम करे एवं अन्य कार्य ज्यादा करे ऐसे शिक्षक का चयन उचित नहीं है. अस्तु वास्तव में शिक्षा के कार्यों (बच्चों के अध्यापन) में सर्वाधिक समर्पित रहे हों, उसके कार्यों से उसका समर्पण, कार्य की उत्कृष्टता प्रमाणित हो तो ऐसे शिक्षक पर विचार किया जायेगा. शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :—

A. **अनिवार्य शर्तें :—**

(1) शिक्षक का निरंतर अध्यापन अनुभव कम से कम 10 वर्ष हो.

(2) शिक्षक निर्विवाद हो, इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच न चल रही हो.

(3) शिक्षक को किसी न्यायालय एवं विभागीय अधिकारी द्वारा सजा न दी गई हो न ही इनके विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन हो.

(4) अनुशासनात्मक अधिकारी के पास भी इनके विरुद्ध विभागीय जांच करने हेतु प्रकरण विचाराधीन न हो.

(5) नियंत्रणकर्ता अधिकारी की दृष्टि में वह उपयुक्त शिक्षक हो.

(6) शाला लगने के दिनों में से 80% या इससे अधिक दिनों तक केवल बच्चों को पढ़ाया/लिखाया अथवा शिक्षण कार्य कराया हो.

(7) शासकीय नियम अनुसार कर्तव्य स्तर से 08 कि.मी. की परिधि में निवासरत हो.

(8) एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अथवा अधिक दिवसीय प्रशिक्षणों में 03 वर्ष में कम से कम 01 प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त किया हो.

B. **शिक्षकीय कार्य :—** बिन्दु A अनुसार जब शिक्षक उपयुक्त पाया जावे तो शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जायेगा :—

(i) **शिक्षक के स्वयं के कार्य :—**

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रत्येक बिन्दु पर प्रस्तावक समिति की तथ्यात्मक टीप	प्रमाण (प्रस्तावक समिति द्वारा दिया जायेगा)	मूल्यांकन समिति का अभिमत	प्राप्तांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	**कक्षा अध्यापन की तैयारी :—**				
1.	पोषक क्षेत्र/गांव/शाला के बच्चों का अपने शाला में प्रवेश/दर्ज कराना.				
2.	शाला त्याग दर कम से कम/शून्य करना.				
3.	शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना बनाया जाता है तो विवरण.				
4.	शिक्षक द्वारा टी.एल.एम. बनाया गया हो तो विवरण.				
B.	**अध्यापन कार्य :—**				
1.	शिक्षक के कालखण्ड में बच्चों का अनुशासन.				
2.	शिक्षक की विषय/विषय वस्तु को समझाने में कुशलता.				
3.	शिक्षक द्वारा विषय/विषय वस्तु का लिखाया जाना एवं अभ्यास कराया जाना.				
4.	पढ़ाने में जिस तरीके का उपयोग करता है वह कारगर है या नहीं. पढ़ाने का तरीका (अधिगम सामग्री, उदाहरण या ऐसा तरीका जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं.)				
5.	शिक्षक के पढ़ाने में बच्चे क्रियाशील रहते हैं ? उनसे प्रश्न पूछा जाता है ? या क्रियाशील रखने का तरीका.				
6.	शिक्षक द्वारा बच्चों से पाठ/विषय वस्तु को बोलकर पढ़वाया जाता है.				
7.	शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को लिखाया जाता है एवं जांच की जाती है.				
8.	शिक्षक होम वर्क देता है एवं इसके जांच भी की जाती है.				
9.	शिक्षक अपने कालखण्ड में बच्चों को विषयवस्तु लिखने को कहता है एवं उसके द्वारा लिखावट की जांच की जाती है.				
10.	शिक्षक द्वारा कोर्स कब पूरा किया गया.				
C.	**छात्र मूल्यांकन :—**				
1.	शिक्षक द्वारा सी.सी.ई./इकाई मूल्यांकन किया जाता है.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	शिक्षक द्वारा सी.सी.ई./इकाई मूल्यांकन करने के परिणाम स्वरूप कितने-कितने बच्चे किस ग्रेड/श्रेणी में आये. प्रत्येक मूल्यांकन का विवरण दिया जावे.				
3.	शिक्षक द्वारा मासिक परीक्षा ली जाती है, तो मासिक परीक्षा का परीक्षाफल/प्रत्येक मास का परीक्षाफल का विवरण दें.				
4.	शिक्षक के त्रैमासिक परीक्षा का परीक्षाफल.				
5.	शिक्षक के विषय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल.				
6.	शिक्षक के विषयों का वार्षिक परीक्षाफल.				
D.	**छात्रों में अध्यापन का परिणाम :—**				
1.	बच्चों की समस्या जैसे शब्द की पहचान न होना, उच्चारण न कर पाना, पाठ न पढ़ पाना, पाठ न समझ पाना, शब्द न लिख पाना, पाठ या अंश को न लिख पाना विषय का न समझना, विषय वस्तु को नहीं लिख पाना आदि के लिए शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास.				
2.	शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये विषय पर बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.)				
E.	**शिक्षक की उपलब्धि :—**				
1.	शिक्षक के कक्षा अध्यापन में उल्लेखनीय कार्य/सफलता.				
2.	शिक्षक द्वारा किया गया नवाचार.				
3.	शिक्षक का असाधारण कार्य/योगदान उपलब्धि का विवरण.				
4.	शिक्षक के विषय में बच्चों की कोई उपलब्धि (भारत विज्ञान/इंस्पायर आदि में)				
F.	**शिक्षक का आचरण :—**				
1.	शिक्षक का शाला में समय पर आना.				
2.	शिक्षक के आचरण पर टीप.				
3.	अध्यापन/शिक्षकीय कार्य में शिक्षक का समर्पण.				
G.	**अन्य :—**				
1.	शिक्षक द्वारा कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना.				
2.	अभिव्यक्ति के कालखण्ड में शिक्षक का योगदान.				

(ii) **शालेय गतिविधियों में शिक्षक का योगदान :—**

स. क्र.	शिक्षक द्वारा सम्पादित कार्य का नाम	प्रत्येक बिन्दु पर प्रस्तावक समिति की तथ्यात्मक टीप	प्रमाण (प्रस्तावक समिति द्वारा दिया जायेगा)	मूल्यांकन समिति का अभिमत एवं प्रदत्त अधिभार/ अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	शाला भवन, परिसर को साफ-सुथरा बनाने में शिक्षक की भूमिका.			
(2)	शाला परिसर को स्वास्थ्यवर्धक/हराभरा बनाने में शिक्षक की भूमिका.			
(3)	शाला भवन संसाधन जुटाने में शिक्षक की भूमिका (शासकीय राशि को छोड़कर)			
(4)	शाला की अहाता/घेरा या ऐसे ही किसी कार्य से शाला को अतिसुरक्षित बनाने में भूमिका.			
(5)	शालेय अभिलेख बनाने में भूमिका			
(6)	शाला प्रबंधन में योगदान			
(7)	ग्राम सभा आयोजन में योगदान			
(8)	सांस्कृतिक/राष्ट्रीय पर्व आदि में योगदान			
(9)	विभिन्न शालेय आयोजन, सेमीनार, विज्ञान व अन्य अवार्ड में भूमिका.			
(10)	**शासकीय योजना में योगदान —** • नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण • नि:शुल्क गणवेश वितरण • नि:शुल्क सायकल वितरण • स्वास्थ्य परीक्षण • वृक्षारोपण • आई.सी.टी. • समावेशी शिक्षा • छात्रवृत्ति • पुस्तकालय योजना • कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा			
(11)	**विविध कार्य :—** • बच्चों ने खेलकूद में विशेष उपलब्धि हासिल की है उसमें शिक्षक का योगदान. • एन.सी.सी., कब-बुलबुल, स्काउट, गाइड, रेंजर, रोवर में योगदान.			
(12)	शिक्षक द्वारा ऐसा कोई कार्य जो उपरोक्त में न आया हो और वह कार्य असाधारण/सराहनीय हो का उल्लेख किया जावे.			

6. शिक्षकों का मूल्यांकन, नियम 5 के उपनियम B (i) एवं (ii) अंतर्गत किया जायेगा. B (i) अधिक महत्वपूर्ण है अत: B (i) के लिए अधिक एवं B (ii) के लिए कम अंक निर्धारित किया जावे, ताकि B (i) में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाला शिक्षक को आगे आने का अवसर मिल सके. इसके लिए B (i) एवं B (ii) में अंकों का अनुपात 75:25 रखा जावे.

7. "शिक्षादूत" पुरस्कार के लिए 5000/- रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र, "ज्ञान दीप" पुरस्कार हेतु 7000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र एवं "शिक्षा श्री" पुरस्कार हेतु 10000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक होने पर पुरस्कार राशि में परिवर्तन किया जा सकेगा.

8. विवाद तथा अनिर्णय की स्थिति में शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

9. इस नियम को बदलने अथवा आवश्यक संशोधन करने का अधिकार शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. साहू, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1–69/दो–गृह/स्टे.गै./2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2016 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची–एक के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है नियम 11 एवं 13 के अधीन क्रमशः गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज तृतीय श्रेणी सेवा;

   (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगेः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.—** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु—

(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की

कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–

(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क –

(क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.–

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.—

(1) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्तीः—**

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती—**

(एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों पर किया जायेगा।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–

(1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की एक सूची, मेरिट क्रम में तैयार करेगा तथा उक्त सूची की नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) चयन समिति उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक संवर्ग के लिये प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

(3) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची सामान्य जन की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति के लिये अनुशंसित किये जा सकेंगे।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.–

(1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार की जाएगी।

(3) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(4) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(5) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(5) सेवा के प्रत्येक संवर्ग के लिये पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(6) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. चयन सूची.—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ—साथ उसके द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि वह महसूस करता हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह, आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक वैध रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप—नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं की जाती किन्तु इसकी वैधता, इसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल अवधि के बाद किसी भी दशा में नही बढ़ायी जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. परिवीक्षा.—

(1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैः

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–**

(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैः

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300–34800+4200	अधीक्षक स्टेट गैरेज रायपुर	संचालक, कोष, लेखा एंव पेंशन से प्रतिनियुक्ति पर
2.	लेखापाल–एक	01	....तदैव....	5200–20200+2800	तदैव	विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना
3.	सहायक वर्ग–एक	01	....तदैव....	5200–20200+2800	तदैव	तदैव
4.	सहायक वर्ग–दो	02	....तदैव....	5200–20200+2400	तदैव	तदैव
5.	स्टोर कीपर	01	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा
6.	टायपिस्ट–कम–कम्प्यूटर आपरेटर	01	....तदैव....	5200–20200+2400	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा
7.	सहायक वर्ग–तीन	03	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	फोरमैन / उप अभियन्ता	01	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	9300–34800+4200	अधीक्षक स्टेट गैरेज रायपुर	विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना
9.	फिटर	04	....तदैव....	5200–20200+2400	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा
10.	सहायक मैकेनिक	07	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा
11.	बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रिशियन)	02	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा
12.	रंगसाज(पेन्टर)	01	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती द्वारा
13.	चालक (ड्राईवर)	140	....तदैव....	5200–20200+1900	तदैव	सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा
14.	वेल्डर	01	....तदैव....	रु. 9770	तदैव	संविदा पर
15.	लोहार	01	....तदैव....	रु. 9770	तदैव	संविदा पर

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क))	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख))	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	–	100%	प्रतिनियुक्ति पर
2.	लेखपाल–एक	01	–	100%	–	
3.	सहायक ग्रेड–एक	01	–	100%	–	
4.	सहायक ग्रेड–दो	02	–	100%	–	
5.	स्टोर कीपर	01	100%	–	–	
6.	टायपिस्ट–कम–कम्प्यूटर आपरेटर.	01	100%	–	–	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	सहायक ग्रेड–तीन	03	75%	25%	–	25% पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो विहित अर्हतायें रखते हो और जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो ।
8.	फोरमेन / उप अभियंता	01	–	100%	–	
9.	फीटर(मैकेनिक)	04	75%	25%	–	
10.	सहायक मैकेनिक	07	33%	67%	–	
11.	बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रिशियन)	02	100%	–	–	
12.	रंगसाज(पेंटर)	01	100%	–	–	
13.	वाहन चालक	140	90%	10%	–	
14.	वेल्डर	01	100%	–	–	संविदा पर
15.	लोहार	01	100%	–	–	संविदा पर

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा / पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टायपिस्ट–कम–कम्प्यूटर ऑपरेटर.	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । **अथवा** कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा. (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	फीटर(मैकेनिक)	18 वर्ष	35 वर्ष	पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा आटो मोबाईल ट्रेड में आई.टी.आई उत्तीर्ण तथा व्यवसाय में 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा आटोमोबाईल में मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में 8 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
3.	सहायक ग्रेड–तीन/ स्टोर कीपर.	..तदैव..	..तदैव..	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण । **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र. (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
4.	बिजली मिस्त्री (इलेक्ट्रिशियन)	..तदैव..	..तदैव..	पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा आटो इलेक्ट्रीकल ट्रेड में आई.टी.आई उत्तीर्ण तथा 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा आटो इलेक्ट्रिकल ट्रेड कार्य में वायरिंग और मरम्मत का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
5.	रंगसाज(पेंटर)	..तदैव..	..तदैव..	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा 7 वर्ष का रंगसाज का व्यवहारिक अनुभव.	
6.	सहायक मैकेनिक	..तदैव..	..तदैव..	8वी कक्षा उत्तीर्ण तथा आटोमोबाईल की मरम्मत तथा अनुरक्षण में 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
7.	लोहार	..तदैव..	..तदैव..	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	
8.	वेल्डर	..तदैव..	..तदैव..	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा संबंधित ट्रेड में 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	वाहन चालक (ड्रायवर)	18 वर्ष	35 वर्ष	8वी कक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव एवं हल्के मोटरयान चालन लाइसेंस होना चाहिए ।	

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

स.क्र. (1)	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)	पदोन्नति हेतु अर्ह होने के लिये न्यूनतम अनुभव की अवधि (4)	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)	टिप्पणियां (6)
1.	सहायक ग्रेड—दो	सहायक ग्रेड—एक	05 वर्ष	1 अधीक्षक, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज, रायपुर — **अध्यक्ष** 2 अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग — **सदस्य** 3 सहायक अभियंता (विद्युत/यात्रिकी), छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज रायपुर — **सदस्य** 4 अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग — **सदस्य**	लेखापाल प्रथम हेतु लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
2.	सहायक ग्रेड—तीन	सहायक ग्रेड —दो .	05 वर्ष	तदैव	
3.	फीटर(मैकेनिक)	फोरमैन/उप अभियंता	05 वर्ष	तदैव	
4.	सहायक मैकेनिक	फीटर	05 वर्ष	तदैव	
5.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड—तीन	05 वर्ष	तदैव	
6.	क्लीनर	सहायक मैकेनिक/वाहन चालक	10 वर्ष	तदैव	

Raipur, the 23rd September, 2016

No. F 1-69/Two-Home/S.G./2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Garage Class-III Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Garage Class-III Service Recruitment Rules, 2016.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,—
   (a) "Appointing Authority" in respect of service means the authority as specified in column (6) of Schedule-I;

   (b) "Committee" means Selection Committee/Departmental Promotion Committee constituted under rule 11 and 13 respectively;

   (c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (g) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

   (h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (j) "Service" means the Chhattisgarh State Garage Class-III Services;

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.—**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.—** The service shall consist of the following persons, namely :—
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.—**The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.—**

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prepared by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria with consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued, from time to time, by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.—** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.—** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(I) **Age.—**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :—

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fullfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note.—

(1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) in rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) **Educational qualifications and experience.—** The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees.—**

(A) The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification.—

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can obstruct the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate, who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.—**

(1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.—**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination:—**

(i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three members.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii) The examination shall be conducted by Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority, from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selection/Interview:—**

(i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee.

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as the case may be as per sub-rule (3).

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an requisite condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

12. **List of candidates recommended by the Committee.—**

(1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates are qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration and a list of the candidates in the order of merit of each category belonging to women, persons with disability /ex-servicemen, who have qualified by such standards due to reservation and validity of said list shall be one year from the date of sending the list to the Appointing Authority for appointment.

(2) Selection Committee shall also prepare a waiting list, for each category mentioned above, in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of select list.

(3) Lists so prepared under sub-rule (1) shall also be published for information to the general public.

(4) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(6) Any candidate, whose name is included in the selection list, does not join the duty within the valid period, or resigns or for any other reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period of selection list, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Appointing Authority for appointment.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority – Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—**

(1) subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.— The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The promotion shall be made in accordance with rule 4 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during the period of 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category within above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the period of 1 year.

(4) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, the name of the public servants in requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of their name shall be considered.

(5) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

15. **Preparation of list of suitable candidate.—**

(1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist of one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable employees shall be prepared in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.
Explanation:- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) The separate list shall be prepared for each cadre of the service.

(6) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

16. **Select List.—**

(1) Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee, along with other documents received from it, if he feels that there is no need of making any changes then he shall approve the list.

(2) If the Appointing Authority feels that there is need of some changes in the list received from the Committee, then he shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be valid until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 15 but its validity shall not be in any case extend beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee if it thinks fit may remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.—**

(1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.—**

(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURWE, Joint Secretary.

SCHEDULE – I
(See rule 5)

S.No	Name of the post included in the service	Number of posts	Classification	Scale of pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Junior Accounts Officer	01	Class-III (Ministerial)	Rs.9300-34800 + 4200	Superintendent, State Garage, Raipur.	Deputed from Director, Treasury, Accounts and Pension
2.	Accountant-I	01	...do...	Rs.5200-20200 +2800	....do...	Filled by Departmental Promotion
3.	Assistant Grade-I	01	---do--	Rs.5200-20200 +2800	.....do...	....do---
4.	Assistant Grade-II	02	---do--	Rs.5200-20200 +2400	....do...	----do....
5.	Store Keeper	01	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment
6.	Typist- cum-Computer Operator	01	...do...	Rs.5200-20200 +2400	....do...	By direct recruitment
7.	Assistant Grade-III	03	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment
8.	Foremen/ Sub-Engineer	01	Class-III (Non-Ministerial)	Rs.9300-34800 +4200	....do...	Filled by Departmental Promotion

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Fitter	04	...do...	Rs.5200-20200 +2400	....do...	By direct recruitment
10.	Assistant Mechanic	07	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment/promotion
11.	Electrician	02	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment
12.	Painter	01	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment
13.	Driver	140	...do...	Rs.5200-20200 +1900	....do...	By direct recruitment/ promotion.
14.	Welder	01	...do....	Rs.9770	....do...	On contract basis.
15.	Blacksmith	01	...do....	Rs.9770	....do...	On contract basis.

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No	Name of the post included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (see rule 6(1)(a))	By promotion of substantive member of service (see rule 6(1)(b))	By transfer/deputation of persons from other services (See rule 6 (1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Junior Accounts Officer	01	-	-	100%	By deputation
2.	Accountant-I	01	-	100%	-	
3.	Assistant Grade-I	01	-	100%	-	
4.	Assistant Grade-II	02	-	100%	-	
5.	Store Keeper	01	100%	-	-	
6.	Typist-cum-Computer Operator	01	100%	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Assistant Grade-III	03	75%	25%	-	25% post shall be filled by the Class IV employees, who have possessed the prescribed quail-fication and have completed atleast 5 years of regular service
8.	Foremen/ Sub-Engineer	01	-	100%	-	
9.	Fitter	04	75%	25%	-	
10.	Assistant Mechanic	07	33%	67%	-	
11.	Electrician	02	100%	-	-	
12.	Painter	01	100%	-	-	
13.	Driver	140	90%	10%	-	
14.	Welder	01	100%	-	-	On contract basis.
15.	Blacksmith	01	100%	-	-	On contract basis.

SCHEDULE - III
(See rule 8)

S. No.	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Typist-cum-Computer Operator	18 years	35 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fitter	18 years	35 years	Must have passed Higher Secondary Examination under old system or matriculation under 10+2 education system and have passed I.T.I. in Auto Mobile Trade and have 5 years applied experience in the profession or 8 years applied experience with regard to repair and maintenance of Auto Mobile.	
3.	Assistant Grade-III / Store Keeper	--do--	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, **OR** Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
4.	Electrician	--do--	--do--	Must have passed Higher Secondary Examination under old system or matriculation under 10+2 education system and have passed I.T.I. in Auto Electrical Trade and 3 years applied experience or 5 years applied experience of wiring and repairing in Auto Electrical Trade Works.	
5.	Painter	--do--	--do--	Must have passed Class 8th examination and have 7 years applied experience of painting	
6.	Assistant Mechanic	--do--	--do--	Must have passed Class 8th examination and have 5 years applied experience in repair and maintenance of Auto Mobile.	
7.	Blacksmith	--do--	--do--	Must have passed Class 8th examination and I.T.I. in the respective trade and 3 years applied experience in the respective Trade.	
8.	Welder	--do--	--do--	Must have passed Class 8th examination and I.T.I. in the respective trade and should have 3 years applied experience in the respective Trade or 5 years applied experience in the respective trade.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Driver	18 years	35 years	Must have passed Class 8th examination and have 3 years experience of driving and should have L.M.V. license.	

Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE - IV
(See rule 14)

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I/ Accountant-I	5 years	1. Superintendent of Chhattisgarh State Garage, Raipur, C.G. **– Chairman.** 2. Under Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department **- Member.** 3. Assistant Engineer (E & M.) Chhattisgarh State Garage, Raipur. **– Member** 4. Section Officer, Government of Chhattisgarh, Home Department **- Member.**	For Accountant-I, it is necessary to pass Account Training Examination
2.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	05 years	---do---	
3.	Fitter	Foremen/ Sub-Engineer	05 years	---do--	
4.	Assistant Mechanic	Fitter	05 years	---do--	
5.	Class-IV	Assistant Grade-III	05 years	---do--	
6.	Cleaner	Assistant Mechanic/ Driver	10 years	---do---	

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्रमांक/एफ 7-08/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 25-06-2016 से दिनांक 10-07-2016 तक कुल 16 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. लघुकृत अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लांगकुमेर आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री लांगकुमेर को उक्त लघुकृत अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें लघुकृत अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लांगकुमेर लघुकृत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्रमांक-एफ-7-16/2014/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-06-2016, जिसके द्वारा श्री टी. एक्का, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 30-05-2016 से 10-06-2016 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 29-05-2016 एवं 11, 12-06-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-3/2016/16.—श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2011/16, दिनांक 13-12-2011 द्वारा राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास आयुक्त को उस क्षेत्र विशेष के लिए श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं. अतएव छत्तीसगढ़ विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 की कंडिका 6.2 के तहत् राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में श्रम कानूनों को क्रियान्वयन संबंधी कार्य, विकास आयुक्त के अनुमोदन से क्षेत्राधिकारिता में किये जाने हेतु सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षक को नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 1800/1193/2016/16.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-15/16/2002, दिनांक 4 सितम्बर, 2004 को राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1949) की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद का गठन करता है, जिसमें

निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(अ) शासकीय अधिकारी —

1.	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2.	उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
3.	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	सदस्य
4.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई, रायपुर	सदस्य
5.	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, रायपुर	सदस्य

(ब) नियोजकों के प्रतिनिधि :—

1.	अध्यक्ष, छ.ग. उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य
2.	अध्यक्ष, रोलिंग मिल ऐसोसिएशन, रायपुर	सदस्य
3.	अध्यक्ष, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर	सदस्य
4.	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, रायपुर	सदस्य
5.	अध्यक्ष, छ.ग. राज्य पावर होल्डिंग पावर लिमिटेड, रायपुर	सदस्य
6.	महाप्रबंधक, भारत एल्युमिनियम कंपनी (बालको), कोरबा	सदस्य
7.	प्रबंधक, डायालाल मेघजी एंड कंपनी (बादशाही बीड़ी वर्क्स), रायपुर	सदस्य

(स) श्रमिक प्रतिनिधि :—

1.	श्री नूतनेश्वर खोब्रागढ़े एटक, रायपुर	सदस्य
2.	श्री एन.पी.मिश्रा, इंटक	सदस्य
3.	श्री दीपक जायसवाल, एन.एफ.आई.एन.टी.सी., बिलासपुर	सदस्य
4.	श्री एम. के. लाल, सीटू	सदस्य
5.	श्री हिम्मत लाल पाटिल, राष्ट्रीय बीड़ी कामगार यूनियन, राजनांदगांव	सदस्य
6.	श्री अजय वैष्णव, भारतीय मजदूर संघ, कोरबा	सदस्य
7.	श्री धर्मेन्द्र सिंह, भारतीय मजदूर संघ, चरचा (शिवपुर)	सदस्य

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-13/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2013/16, दिनांक 30-12-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा कॉलम (2) में 58वें प्रवर्ग के रूप में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	कर्मकारों के प्रवर्ग
58	निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईट, गिट्टी, मुरूम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री बी. पी. नोन्हारे (1985)	मुख्य वन संरक्षक (ईको टूरिज्म) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर.	मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
2.	श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)	मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.	मुख्य वन संरक्षक (ईको टूरिज्म) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. के. सुब्रमणियम (1984)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं योजना, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.
2.	डॉ. जितेन कुमार (1986)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं योजना, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.
3.	श्री देवाशीष दास (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 8587/2461/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नरेन्द्र कुमार चन्द्राकर, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, महासमुंद में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, महासमुंद तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974)की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, महासमुंद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 8589/2460/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोरिया (बैकुण्ठपुर) में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, कोरिया (बैकुण्ठपुर) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974)की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, कोरिया (बैकुण्ठपुर) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 8594/2463/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नरेश सिंह, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्रीमती सुनीता ठाकुर, तत्कालीन अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के त्याग पत्र दिए जाने से रिक्त पद पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, बिलासपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974)की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 8592/2463/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राधेश्याम साहू, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री दिनेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, बिलासपुर तथा दण्ड

प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974)की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 8659/2462/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कोरबा (छ.ग.) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री रमेश सिंह यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 8661/2485/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती रेवती चौधरी, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगांव में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, राजनांदगांव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974)की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजनांदगांव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 8663/2484/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विष्णु प्रसाद साव, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, राजनांदगांव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, राजनांदगांव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक 8716/2486/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राकेश मिश्रा, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, राजनांदगांव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजनांदगांव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 8693/1965/21-ब/छ.ग./2016.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर पदम किशोर दुर्गा, एबनेजर चर्च, रविग्राम रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 8693/1965/21-B/2016.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Paster Padma Kishor Durga, Ebenzer Church, Ravigram Raipur for District Raipur of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage ; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्रमांक 2655/एफ-21/विद्युत उपकेन्द्र भूमि आवंटन/13/2/2013.—राज्य सरकार की विद्युत कंपनियों यथा छ.रा. विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विद्युत कंपनियों द्वारा आवेदित भूमि को 1 रुपये प्रतिकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर भूमि के आवंटन करने हेतु विभाग एवं अधिनस्थ निगम/निकायों/मण्डल/संस्थानों के भूमि आवंटन के नियमों/निर्देशों में आवश्यक प्रावधान कर भूमि आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अवगत कराया गया था.

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों से यह अपेक्षा है कि विद्युत कंपनियों के द्वारा आवेदित भूमि रुपये 1 प्रतिकात्मक प्रीमियर राशि (टोकन मनी) के भुगतान पर भूमि का आवंटन विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाना है ऊर्जा विभाग के संज्ञान में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उक्त आदेश में राज्य के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि में किसी विभाग विशेष का लेख नहीं होने के आधार पर उक्त विभाग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि का आवंटन छ.रा. विद्युत उत्पादन/पारेषण एवं वितरण कंपनी को रुपये 1 प्रतिकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर नहीं किया जा रहा है, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है.

उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन/पारेषण एवं वितरण कंपनी की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदित भूमि का आवंटन राज्य शासन के सभी विभाग तथा अधिनस्थ सभी नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/स्थानीय निकाय/मण्डल/कृषि उपज मण्डी/सीएसआईडीसी/संस्थानों आदि द्वारा बिना किसी "Lease rent, security deposit, annual maintenance charges etc." की मांग करते हुए केवल 1 रुपये प्रतिकात्मक शुल्क के भुगतान पर करने हेतु आवश्यक अनुषांगिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए.

अत: आपके विभाग तथा अधिनस्थ निगम/निकायों/मण्डल/संस्थानों आदि के स्वामित्व की भूमि में से छ.रा. विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विद्युत कंपनियों द्वारा आवेदित भूमि को 1 रुपये प्रतिकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर भूमि के आवंटन करने हेतु राज्य शासन के समस्त विभाग, विभागों के अधिनस्थ नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/स्थानीय निकाय/मण्डल/कृषि उपज मण्डी/सीएसआईडीसी/संस्थानों आदि द्वारा संबंधित विद्युत कंपनियों को उनकी परियोजनाओं के लिए बिना किसी "Lease rent, security deposit, annual maintenance charges etc." भूमि आवंटन के नियमों/निर्देशों में आवश्यक प्रावधान हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी किए जावें ताकि रुपये 1 प्रतिकात्मक प्रीमियम राशि पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम्, विशेष सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 6-22/2016/वा.कर./पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 6600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री आनंद पी. टोप्पो, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.	वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.
2.	श्री महावीर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-तीन.	कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर दुर्ग संभाग.
3.	श्री एस. एस. मोहंती, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-दो.	कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक-दो.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	सुश्री प्रतिष्ठा ठाकुर, अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-दो
2.	श्री तरूण कुमार किरण, अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त दो.	वाणिज्यिक कर अधिकरी, दुर्ग वृत्त-तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-41/2016/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 12-7-2016 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	सेरीखेड़ी, प.ह.नं.-42	680/3	4.858 हे.	कृषि	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय सांसद एवं चतुर्थ विधान सभा के माननीय विधायकों हेतु विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष आवासीय योजना हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-18/2016/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-08-2016, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (1) एवं (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत उक्त दोनों अधिनियमों के लिए एकल व्यक्ति अपील प्राधिकारी का गठन करते हुए श्री संजय शुक्ला, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अपील प्राधिकारी नियुक्त करने संबंधी है, एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-52/2016/32.—राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि बिलासपुर जिले के अमरकंटक पठार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये,

2. अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर जिले के अमरकंटक पठार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण," के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की जाती है :—

अनुसूची

अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चुकतीपानी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम चुकतीपानी, ठाड़पथरा एवं तवाडबरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम तवाडबरा एवं आमानाला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम आमानाला, तवाडबरा, ठाड़पथरा एवं चुकतीपानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 01-06/2009/चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार दुर्ग संभाग के लिए निम्नानुसार अधिमान्यता समिति गठित करता है.

क्रमांक (1)	नाम (2)	जिला (3)
1.	श्री जितेन्द्र मिश्रा, ब्यूरो प्रमुख, नवभारत	राजनांदगांव
2.	श्री सचिन अग्रहरि, ब्यूरो प्रमुख, हरिभूमि	राजनांदगांव
3.	श्री यशवंत घोटे, संपादक, नवप्रदेश	दुर्ग
4.	श्री अविनाश ठाकुर, अमृत संदेश	कबीरधाम

(1)	(2)	(3)
5.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, सेन्ट्रल क्रानिकल, कवर्धा	कबीरधाम
6.	श्री ब्रजेश पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर	बालोद
7.	श्री किशोर तिवारी, ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया	बेमेतरा

2. संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे, इस संभाग स्तरीय समिति के संयोजक, संचालक, जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, जनसंपर्क होंगे. इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष का होगा लेकिन आगामी समिति के गठन तक यह समिति क्रियाशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/69/11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	कसोंदी प.ह.नं. 33	0.470	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/68/03 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहाघाट, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	385/1	0.004
	385/3	0.028
	385/4	0.024
	386/1	0.024
	386/3	0.032
	386/4	0.040
	386/2	0.020
योग	7	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-महानदी पर निर्माणाधीन बसंतपुर बॅराज सलिहाघाट एप्रोच रोड निर्माण क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/68/04 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अलीकूद, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.773 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
415/1	0.020
451/3	0.045
415/2	0.020
451/2	0.044
415/3	0.041
451/1	0.045
416	0.040
417/1	0.032
452/1	0.013
417/2	0.048
452/2	0.016
494/3	0.024
417/3	0.049
482/2	0.064
494/4	0.024
439/5	0.121
439/7	0.008
439/9	0.008
439/10	0.020
441/2	0.012
458	0.424
475	0.041
439/4	0.140
439/6	0.008
439/8	0.008

(1)	(2)
616	0.112
441/3	0.059
442/4	0.039
442/1	0.200
445	0.243
455	0.206
496	0.142
446/1	0.036
446/2	0.037
449	0.137
453/1	0.042
453/2	0.016
453/6	0.026
453/3	0.024
453/7	0.020
495/2	0.048
453/4	0.026
453/8	0.020
495/3	0.048
456/2	0.050
456/4	0.050
466/9	0.047
599/1	0.047
599/6	0.008
457/4	0.041
457/5	0.041
467/2	0.085
467/3	0.073
467/5	0.150
470/1	0.016
470/2	0.016
499	0.077
470/3	0.004
470/4	0.006
474	0.004
479	0.057
480	0.061
482/1	0.134
482/4	0.044
487	0.296
500	0.069
488	0.129
494/1	0.045
495/1	0.096
498	0.020
462/2	0.089
562	0.060
563	0.400
591/1	0.010
591/2	0.010
591/4	0.010
600/1	0.036
600/2	0.004
601/2	0.004
603/1	0.046
593	0.012
602	0.052
594	0.012
595	0.049
613	0.044
623	0.072
599/2	0.017
599/5	0.008
599/3	0.017
599/4	0.008
601/1	0.004
601/3	0.004
603/2	0.024
604/3	0.065
614	0.056
617	0.020
618/1	0.032
618/2	0.020
481	0.057
478	0.069
योग	5.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-महानदी पर निर्माणाधीन बसंतपुर बॅराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक/5307/वाचक/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पडरी, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176	0.09
177	0.09
188	0.08
187	0.13
212	0.08
215/1	0.03
376/1	0.03
380	0.04
515/2	0.04
376/2	0.02
215/3	0.03
376/3	0.03
210	0.08
201	0.14
413	0.08
382	0.05
160	0.03
288	0.11
381	0.09
379	0.04
377	0.05
281	0.05
373	0.14
374	0.01
371	0.05
357	0.02
362	0.04
363	0.05
365	0.01
353	0.04
334	0.07
333	0.06
352	0.04
416	0.07
417/1	0.01
417/2	0.01
182	0.06
185	0.07
162	0.07
157	0.10
141	0.10
161	0.05
158	0.04
136	0.01
145	0.09
351	0.05
280	0.03
103	0.05
योग 48	2.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-खर्री व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक/5308/वाचक/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-महेदौली, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.540 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
328	0.050
329	0.050
323	0.060
149	0.030
147/2	0.080
147/4	0.030
145	0.085
144	0.030
116/3	0.040
116/1	0.040
110/3	0.085
110/2	0.030
110/1	0.025
104	0.040
107	0.090
93	0.020
91	0.045
206/1	0.070
117/1	0.015
109	0.065
90	0.020
141	0.035
76	0.020
78	0.105
206/2	0.070
117/2	0.015
26	0.080
7	0.100
119	0.050
58/4	0.045
124	0.045
100	0.060
99/4	0.055
171/4	0.045
94/1	0.030
95	0.040
96	0.050
233/4	0.080
232/1	0.040
58/1	0.045
232/2	0.040
171/1	0.045
37/1	0.045
28/1	0.060
37/2	0.045
28/2	0.060
136	0.040
77/2	0.035
174	0.080
166	0.020
168	0.060
योग 51	2.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बिछली झिरिया व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्रमांक 18/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-चिपरकाया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.938 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
598	0.236
468/4	0.081
478	0.587
471	0.024
492/25	0.180
489/2	0.102
468/3	0.081
486	0.180
475	0.097
492/16	0.120
470	0.142
471/1	0.628
488	0.878
476	0.057
468/1	0.081
467	0.144
489/1	0.130
491	0.261
487	0.360
492/18	0.182
469/1	0.175
477	0.045
605	0.06
601	0.090
492/19	0.146
459	0.016
612	0.120
606	0.120
492/11	0.182
458	0.081
460	0.049
469/2	0.133
473	0.008
604	0.101
योग	5.938

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुईडीह जलाशय योजना उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-जिल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
531/4	0.053
531/3	0.032
531/2	0.085
576/7	0.134
635	0.065

	(1)	(2)
	639	0.113
	638	0.089
	534/1	0.065
	586	0.166
	532/1	0.150
	534/2	0.198
	532/2	0.073
	633	0.178
	533	0.312
	640/2	0.024
	576/6	0.065
	575/1	0.275
	522/1	0.105
	523	0.154
	531/6	0.073
	584/1	0.166
	662/4	0.304
	629/1	0.158
	511	0.024
	658	0.223
	636/2	0.040
	632	0.239
	584/2	0.073
	521	0.049
	522/2	0.008
	576/4	0.109
	585	0.036
	630	0.166
	657	0.032
योग	34	4.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 2/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.847 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
74/2	0.020
76/2	0.020
78/2	0.028
71/1	0.049
76/3	0.040
112	0.105
42/7	0.040
42/9	0.040
110/2	0.040
42/8	0.077
56/2	0.049
56/3	0.045
58/4	0.174
99/4	0.024
140/2	0.162
110/3	0.170
110/1	0.186
134	0.166
15/3	0.045
47	0.040
59/1	0.073
99/1	0.028
99/2	0.045
110/4	0.040
12/13	0.081
137/1	0.032
111	0.393
69/1	0.020
70/2	0.040
15/1	0.040
12/4	0.085
15/9	0.049
137/2	0.081
96	0.040
97	0.040
109	0.227
46/1	0.024

	(1)	(2)
	141/1	0.093
	76/1	0.020
	78/1	0.040
	77	0.040
	57	0.020
	141/2	0.093
	9	0.020
	42/1	0.081
	40/1	0.138
	42/3	0.069
	74/3	0.036
	76/4	0.028
	94	0.032
	135	0.117
	140/1	0.081
	140/3	0.081
योग	51	3.847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-कोलबिर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	181/2	0.243
	122/6	0.234
योग	2	0.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.321 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1108/4	0.085
1111/1	0.069
1147/2	0.121
1152/3	0.113
1108/1	0.332
1146	0.061
1103	0.134
1108/2	0.061
1157/1	0.263

	(1)	(2)
	1158	0.057
	1159/1	0.085
	980/1	0.049
	1157/4	0.049
	1157/3	0.308
	1157/2	0.129
	1101/2	0.040
	1108/6	0.263
	1152/4	0.053
	1119	0.049
योग	19	2.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुरूदेव नाला जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसाझार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.093
3 4	0.122
5/3	0.053
286/3	0.028
286/4	0.041
11/2	0.045
276/6	0.053
13/1	0.041
13/2	0.154
17/2	0.061
56	0.093
57/1	0.028
58 59	0.049
123	0.008
60	0.008
61/1	0.061
61/3	0.069
62/2	0.093
73/2	0.113
75/3	0.105
150	0.049
151	0.166
274	0.061
168/1	0.057
168/2	0.004
168/3	0.004
169	0.182
276/2	0.077
152	0.057
174/1	0.069
174/2	0.069
195	0.004
190	0.113
191	0.008
266	0.077
188	0.154
189/2	0.215
275	0.045
276/3	0.049
276/5	0.016
285	0.008
296/2	0.032
297/2	0.032
286/1	0.004
286/2	0.020
295/1	0.004
296/1	0.020
541	0.008

	(1)	(2)
	287/1	0.004
	12	0.041
	16	0.045
योग	53	3.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बछालीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.774 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102	0.012
111/3	0.210
111/1	0.020
111/4	0.012
126	0.109
149	0.069
112	0.024
125	0.004
124	0.049
123	0.081
113/2	0.036
269	0.041
121	0.069
120	0.032
162	0.085
163	0.057
176	0.073
187/1	0.073
266/1	0.016
198/2	0.113
262/3	0.012
634	0.130
258/1	0.008
260	0.032
643	0.085
644	0.057
652	0.060
653	0.049
655	0.012
671/4	0.024
651 654	0.004
657	0.211
659/1	0.247
656/1	0.089
262/1ख	0.036
181/10	0.061
193/1	0.008
195/2	0.045
196/2	0.065
262/4 क	0.081
262/5 क	0.028
197	0.008
266/2	0.008
262/5 ख	0.028
258/2	0.061
262/4 ख	0.121
632/1	0.008
641 642	0.324
671/1	0.130
671/2	0.065
267	0.012
671/3	0.024
195/1क	0.065
111/5	0.121
262/2ख	0.048
265	0.012

(1)	(2)
175	0.106
261	0.032
262/2क	0.081
684	0.057
676/3	0.113
676/15	0.117
181/14	0.036
181/13	0.065
181/5	0.065
676/9	0.004
680/1	0.113
680/3	0.049
683/1	0.020
683/2	0.028
682	0.057
676/13	0.101
676/10	0.166
योग 75	4.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांसाझाल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक/71/भू.अ./स.अ.भू.अ./हल्का.पुन./2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के कण्डिका (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं टामनसिंह सोनवानी (भा.प्र.से.) कलेक्टर जिला नारायणपुर एतद्द्वारा तहसील नारायणपुर के वर्तमान में विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्नानुसार सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	प.ह.नं.	पटवारी हल्के का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नारायणपुर	नारायणपुर	1	खोड़गांव	खोड़गांव	खोड़गांव	
2.						परलभाट	
3.						सुपगांव	
4.						अंजरेल	
5.					भरण्डा	भरण्डा	
6.						टेमरूगांव	
7.						मर्देल	
8.			2	खड़कागांव	खड़कागांव	खड़कागांव	
9.						खैराभाट	
10.					केरलापाल	केरलापाल	
11.			3	बिंजली	बिंजली	बिंजली	
12.						तेलसी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	नारायणपुर	नारायणपुर			पालकी	पालकी	
14.						पुसागांव	
15.			4	सुलंगा	सुलंगा	सुलंगा	
16.						गुरिया	
17.					माहका	माहका	
18.			5	करलखा	करलखा	करलखा	
19.						कनेरा	
20.						पातुरबेड़ा	
21.					दुग्गाबेंगाल	दुग्गाबेंगाल	
22.						चिपरेल	
23.			6	एड़का	एड़का	एड़का	
24.						इरको	
25.						कानागांव	
26.					बोरपाल	बोरपाल	
27.			7	आमासरा	आमासरा	आमासरा	
28.						खुड़पई	
29.						पुंगारपाल	
30.						माहका	
31.					ताड़ोपाल	ताड़ोपाल	
32.						खड़कागांव	
33.			8	नयानार	नयानार	नयानार	
34.						कुलानार	
35.					बोरावण्ड	बोरावण्ड	
36.						उड़ीदगांव	
37.			9	रेमावण्ड	रेमावण्ड	रेमावण्ड	
38.						गोहड़ा	
39.						मालिंगनार	
40.					कुढ़ारगांव	कुढ़ारगांव	
41.						गुलुमकोडो	
42.			10	भाटपाल	भाटपाल	भाटपाल	
43.						खरगांव	
44.						भुरवाल	
45.			11	बेनूर	बेनूर	बेनूर	
46.						भीरागांव	
47.			12	कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	
48.						नेतानार	
49.					कोरेण्डा	कोरेण्डा	
50.			13	मातला	मातला	मातला	
51.						पानीगांव	
52.						सिरपुर	
53.					तुरठा	तुरठा	
54.						एड़ंगपाल	
55.						कलेपाल	
56.						कड़हागांव	
57.			14	चांदागांव	चांदागांव	चांदागांव	
58.						सोनापाल	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
59.	नारायणपुर	नारायणपुर			बागबेड़ा	मटावण्ड उर्फ बागबेड़ा	
60.						सिवनी	
61.			15	टिमनार	टिमनार	टिमनार	
62.					नेलवाड़	नेलवाड़	
63.						लाल सुहनार	
64.						छोटे सुहनार	
65.						कस्तुरवाड़	
66.			16	देवगांव	देवगांव	देवगांव	
67.						तेरदुल	
68.					गरांजी	गरांजी	
69.			17	नारायणपुर	शहरी क्षेत्र	नारायणपुर	
70.			18	ब्रेहबेड़ा	ब्रेहबेड़ा	ब्रेहबेड़ा	
71.						सरगीपाल	
72.						बम्हनी	
73.						मेटाडोंगरी	
74.					सोनपुर	सोनपुर	
75.			19	बाकुलवाही	बाकुलवाही	बाकुलवाही	
76.					बेलगांव	बेलगांव	
77.			20	कुकड़ाझोर	कुकड़ाझोर	कुकड़ाझोर	
78.						सीतापाल	
79.					बागडोंगरी	बागडोंगरी	
80.						कोकोड़ी	
81.						खड़कागांव	
82.						बोरगांव	
83.			21	गढ़बेंगाल	गढ़बेंगाल	गढ़बेंगाल	
84.						कुम्हली	
85.						ब्रेहेबेड़ा	
86.			22	हलामी-मुंजमेटा	हलामीमुंजमेटा	हलामीमुंजमेटा	
87.						मरकाबेड़ा	
88.						कापसी	
89.					नाऊमूंजमेटा	नाऊमूंजमेटा	
90.						गरावण्ड	
91.			23	आमगांव	आमगांव	आमगांव	
92.						माण्डोकी	
93.						मरसकोडो	
94.					बावड़ी	बावड़ी	
95.						गोंगला	
96.						गोटाबेनूर	
97.						मलेचुर	
98.			24	बोरण्ड	बोरण्ड	बोरण्ड	
99.						गोटाजम्हरी	
100.						रेंगाबेड़ा	
101.					बड़ेजम्हरी	बड़ेजम्हरी	
102.						कोचवाही	
103.			25	करमरी	करमरी	करमरी	
104.						कोडोली	
105.						एकोड़ी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
106.	नारायणपुर	नारायणपुर				गुमियापाल	
107.						ताड़ोनार	
108.						परलभाट	
109.						कुरूसनार	
110.						हिकोनार	
111.						तिरहुल	
112.						ढुठा (विरान)	
113.			26	फरसगांव	फरसगांव	फरसगांव	
114.						मुण्डपाल	
115.						बेड़माकोट	
116.		धौड़ाई	27	महिमागवाड़ी	महिमागवाड़ी	महिमागवाड़ी	
117.					कोंगेरा	कोंगेरा	
118.						झारा	
119.						कोसलनार	
120.			28	दण्डवन	दण्डवन	दण्डवन	
121.						आदपाल	
122.						छोटे फरसगांव	
123.					छिनारी	छिनारी	
124.						कोंदाहुर	
125.						बागझर	
126.			29	धौड़ाई	धौड़ाई	धौड़ाई	
127.					पल्ली	पल्ली	
128.						आतरगांव	
129.						कनेरा	
130.						परपा	
131.			30	बड़गांव	बड़गांव	बड़गांव	
132.						कुम्हारीबेड़ा	
133.					तारागांव	तारागांव	
134.						बड़कानार	
135.			31	राजपुर	राजपुर	राजपुर	
136.						बेड़मा	
137.						हिरंगई	
138.						झारा	
139.						ब्रेहबेड़ा	
140.			32	धनोरा	धनोरा	धनोरा	
141.						हिकपुल्ला	
142.						टेकानार	
143.						मड़मनार	
144.						रायनार	
145.						झोरीगांव	
146.			33	छोटेडोंगर	छोटेडोंगर	छोटेडोंगर	
147.			34	गौरदण्ड	गौरदण्ड	गौरदण्ड	
148.						उमरगांव	
149.						गुट्टापाल	
150.						बांहकेर	
151.						रोताड़	
152.						चिहरा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
153.	नारायणपुर	धौड़ाई				चमेली	
154.			35	सुलेंगा	सुलेंगा	सुलेंगा	
155.						कुम्हारीछोटा	
156.						मड़ागड़ा	
157.						टिरकानार	
158.						कोकपाड़	
159.					तोयनार	तोयनार	
160.						दुड़मी	
161.						बोथा	
162.						बांसपाल	
163.			36	कन्हारगांव	कन्हारगांव	कन्हारगांव	
164.					टेमरूगांव	टेमरूगांव	
165.						कोड़हेर	
166.						पदनार	
167.						गड़दापाल	
168.			37	मढ़ोनार	मढ़ोनार	मढ़ोनार	
169.						कचोरा	
170.						कावानार	
171.						तुरूषमेटा	
172.						ब्रेहबेड़ा	
173.						हितुलवाड़	
174.						होड़नार	
175.						तोयामेटा	
176.						सुर्रेवाही (विरान)	

टामन सिंह सोनवानी,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3552.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/3929-3930 रायपुर दिनांक 22-10-2014 द्वारा श्री आर. के. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्र./वित्त-1/2016/4411-4412 दिनांक 26-08-2016 द्वारा श्री बी.बी. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री आर. के. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री बी.बी. वर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3554.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/5589-5590 दिनांक 23-11-2015 द्वारा श्री अरूण खलखो, तहसीलदार कोटा, कृषि उपज मण्डी समिति कोटा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक/वित्त-1/2015/4413-4414 दिनांक 26-08-2016 द्वारा श्रीमति हेमलता डहरिया तहसीलदार कोटा को कृषि उपज मंडी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री अरूण खलखो, तहसीलदार कोटा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमति हेमलता डहरिया, तहसीलदार कोटा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3746.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/7145-7146 रायपुर दिनांक 10-02-2016 द्वारा श्री के. आर. ओगरे अपर कलेक्टर राजनांदगांव को कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/ज्ये.लि. 1/2016 दिनांक 5016-5017 दिनांक 31-08-2016 द्वारा श्री जे. के. ध्रुव अपर कलेक्टर राजनांदगांव को कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. आर. ओगरे अपर कलेक्टर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जे. के. ध्रुव अपर कलेक्टर राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3811.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/7910-7911 दिनांक 14-03-2016 द्वारा श्री जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द को कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 5977/158/क/अ.अ.ऊ.शा./2016-17 दिनांक 31-08-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा डिप्टी कलेक्टर महासमुन्द को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द का स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2016

क्रमांक/3911/न.ग्रा.नि./वि.यो-मारो/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मारो निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है जिसकी प्रति नगर पंचायत मारो के सभाकक्ष एवं नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. में दिनांक 29-06-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. मारो निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है :—

अनुसूची

मारो निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लालपुर, मारो, दोहना एवं झुलना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम झुलना एवं चक्रवाय की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चक्रवाय, मारो एवं गुजेरा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम गुजेरा, मारो एवं लालपुर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 3911/T&CP/DP-Maro/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Maro planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from date 29-06-2016 during office hours in the conference hall of the Nagar Panchayat Maro and Town and country planning office Durg. The limit of the Maro Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of the Maro Planning Area

NORTH : Village Lalpur, Dohana and Jhulna upto North Boundary
EAST : Village Jhulna and Chakraway upto East Boundary.
SOUTH : Village Chakraway, Maro and Gujera upto South Boundary.
WEST : Village Gujera, Maro and Lalpur upto West Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing Land use map so prepared in it should be sent in writing to the Joint Director Town and Country Planning Durg Chhattisgarh within a period of Thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 24 जून 2016

क्रमांक/534/ELU/गुरूर/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि गुरूर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत गुरूर/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 24-06-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भरदा, तार्री, बोरतरा, कोलिहामार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कोलिहामार, बोहारडीह, दानीटोला की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम दानीटोला, कन्हारपुरी, सोनईडोंगरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सोनईडोंगरी, खैरवाही, भरदा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, गुरूर.

No./534/ELU/Gurur/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Gurur planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 24-06-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Gurur/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Balod & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Gurur Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Gurur Planning Area

NORTH : Village Bharda, Tarri, Bortara village Kolihamar up to North Boundary.
EAST : Village Kolihamar, Bohardih village Danitola up to East Boundary.
SOUTH : Village Danitola, Kanharpuri village Sonaidongari up to South Boundary.
WEST : Village Sonaidongari, Kharwahi village Bharda up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat Gurur.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्रमांक/1216/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नगरी निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

नगरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गोरेगांव, अमाली, सम्बलपुर, छिपलीपारा, नगरी, बिलभदर एवं डोंगरडुला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सांकरा, मोदे, गोरेगांव, चुरियारा एवं बिलभदर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सिहावा, सिरसिदा, बोदसेमरा, बीरनपुर, मोदे एवं सांकरा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डोंगरडुला, बिलभदर, हरदीभाठा, छिपलीपारा, भीतररास एवं सिहावा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत नगरी एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.)

No. 1216/T&CP/2016.—It is published for general information to the Public that in Persuance of subsection (3) of section-15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map register of the Planning Area of "Nagri" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Commissioner Cum Director, Town and Country Planning C.G. Copy of this notice is being sent for publication in the "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section-15 of the said Act and will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Nagri Planning Area

NORTH : Northern limits of Village Goregaon, Amali, Sambalpur, Chhiplipara, Nagri, Bilbhadar & Dongardula.
EAST : Eastern limits of Villages Sankra, Mode, Goregaon, Churiyara & Bilbhadar.
SOUTH : Southern limits of Villages Sihawa, Sirsida, Bodsemra, Biranpur, Mode & Sankra.
WEST : Western limits of Villages Dongardula, Bilbhadar, Hardibhatha, Chhiplipara, Bhitarras & Sihawa.

The said adopted map shall be open for inspection at the following palce with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours except holidays.

Inspection Place :_ Office of the Nagar Panchayat Nagri and Assistant Director Town and Country Planning, Dhamtari (C.G.)

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Bilaspur, the 11th August 2016

No. 13566/Company Petition No. 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 13/13 & 3/14

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 6 of 2013

G.R. Sponge and Power limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at Agrawal Complex, Samta Colony, Raipur, P.S. Saraswati Nagar, Raipur, District Raipur Chhattisgarh, through its Director Shri Keshav Agrawal.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited. a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by G.R. Sponge and Power limited, Agrawal Complex, Samta Colony, Raipur, P.S. Saraswati Nagar, Raipur, District Raipur Chhattisgarh, through its Director Shri Keshav Agrawal petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Bilaspur, the 11th August 2016

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 7 of 2013

Aarti Sponge and Power limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at Aarti House, Ashoka Ratna, Vidhan Sabha Road, Shankar Nagar, Raipur, P.S. Mowa Raipur, District-Raipur (C.G.) through its Director Dr. Manish Kumar Mandal.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court date 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by Aarti Sponge and Power limited, Aarti House, Ashoka Ratna, Vidhan Sabha Road, Shankar Nagar, Raipur, P.S. Mowa Raipur, District-Raipur (C.G.), through its Director Dr. Manish Kumar Mandal petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Bilaspur, the 11th August 2016

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 8 of 2013

S. K. Sarawagi & Co. Pvt. limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at 1, Sarojini Naidu Sarani, Shubham 5th Floor, Kolkata, West Bengal, through its Director Shri Suresh Agrawal.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited. a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by S. K. Sarawagi & Co. Pvt. limited 1, Sarojini Naidu Sarani, Shubham 5th Floor, Kolkata, West Bengal, through its Director Shri Suresh Agrawal petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Bilaspur, the 11th August 2016

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 9 of 2013

Vaswani Industries limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at MIG-4, Indrawati Colony, Raipur, P.S. Civil Lines, Raipur, District-Raipur (C.G.) through its Director Ravi Vaswani.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited. a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by Vaswani Industries Limited, MIG-4, Indrawati Colony Raipur, P.S. Civil Lines, Raipur, District-Raipur (C.G.) through its Director Ravi Vaswani, petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Bilaspur, the 11th August 2016

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 13 of 2013

Godwari Power and Ispat limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at Plont No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur, P.S.-Siltara, Raipur, District-Raipur, through its authorised representative Shri Y.C. Rao, S/o Late Shri Y. Mandali, aged about 47 years, R/o B-31, Green Orchid, Avanti Vihar, Daldal Seoni Road, Mowa, Raipur, P.S.-Mowa, Raipur (C.G.) 492001.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited. a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by Godwari Power and Ispat limited, Plont No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur, P.S.-Siltara, Raipur, District-Raipur , petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with

his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

Bilaspur, the 11th August 2016

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433, 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 3 of 2014

Recon Steel and Power limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Registered office at 176, Amadi Mandir Ward, Deepak Nagar, Durg, P.S.-Mohan Nagar, Durg, through its Director Shri Arvind Jain.

Vs.

Brahaspati Iron and Steel Company Private limited. a company incorporated under the provisions of the Companies Act 1956, having its registered office at A-29, Amrapali Society, In front of MMI Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, P.S.-Tikrapara, Raipur District-Raipur (C.G.) 492001.

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 27-07-2016 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (Brahaspati Iron and Steel company Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by Recon Steel and Power limited, 176, Amadi Mandir Ward, Deepak Nagar, Durg, P.S.-Mohan Nagar, Durg, through its Director Shri Arvind Jain, petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 05th September 2016.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less that 5 days before the dated fixed for the hearing.

POORAN SINGH THAKUR,
Deputy Registrar (Civil).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

Comp. Pet. No. 6 of 2013

G. R. Sponge and Power Limited **Versus** Brihaspati Iron and Steel Company Pvt. Limited

with Comp. Pet. No. 3/2014, Comp. Pet. No. 7/2013, Comp. Pet. No. 8/2013, Comp. Pet. No. 9/2013, Comp. Pet. No. 8/2015 and Comp. Pet. No. 13/2013,

27-07-2016	Shri Ankit Singhal and Shri Manay Nath Thakur, counsel for the respective petitioners. Shri Sachin Singh Rajput, counsel for the respondent in all the petitions. In Company Petition No. 8/2015, an order directing issuance of advertisement has been passed on 04-04-2016. In other Company Petitions of the batch, namely, Petition Nos. 6/2013, 3/2014, 7/2013, 9/2013 and 13/2013, Shri Ankit Singhal, learned counsel appearing for the petitioners would pray for an order for issuance of advertisement in terms of the order passed on 04-04-2016. It is contended that the respondent Company deserves to be wound up as it has neglected to pay the debt which it owes to the petitioner Companies. Shri Sachin Singh Rajput, learned counsel appearing for the respondent Company would submit that there is bona fide dispute between the parties, therefore, it is not a case where advertisement should be issued. He would submit that the Company Petitions deserve to be dismissed. Having considered the rival submissions and the material available on record, there appears necessity of issuance of advertisement in terms of Rule 96 of the Companies (Court) Rules, 1959 (for short 'the Rules of 1959'), as has been directed in Company Petition No. 8/2015. In the subject Company Petitions, the respondent Company has denied its liability to pay its debt only on the ground that the goods supplied by the petitioner Companies were of substandard quality. However, there is no document to the effect that immediately after supply of raw material, the respondent Company communicated to the petitioner Companies raising issue about the quality of goods nor any intimation was sent for taking back the goods as it failed to satisfy the quality. Before presenting Company Petitions under Section 433 (e) of the Companies Act, 1956, each of the petitioner Company has served statutory notice under Section 434. In Company Petitions No. 3/2014 and 13/2013, the respondent Company did not reply to the statutory notice. In other petitions, reply has been filed denying the liability on the ground that the raw material was of substandard quality. However, there is no averment that the respondent Company has not been supplied the raw material and the claim is frivolous. The petitions have been submitted by the authorised signatories, for which, the resolution of the Company has been annexed. Relevant credit entries/debit entries are also forming part of the record of	

the Company Petitions. The following is liability of the respondent Company towards petitioner Companies in each of the Company Petition.

Case No.		Amount
Company Petition No. 6/2013	=	Rs. 94,01,260/-
Company Petition No. 3/2014	=	Rs. 52,02,422/-
Company Petition No. 7/2013	=	Rs. 53,80.168/-
Company Petition No. 8/2013	=	Rs. 31,33,873/-
Company Petition No. 9/2013	=	Rs. 74,28,009/-
Company Petition No. 13/2013	=	Rs. 1,35,14,991/-

Considering the above mentioned broad features of the cases, this Court is *prima facie* satisfied that an advertisement needs to be issued for proceeding further in the matter for directing winding up of the respondent Company. On payment of required process fee, an advertisement be published.

I. in the official gazette of the State;
II. one daily newspaper in the English language ; and
III. one daily newspaper in the regional language circulating in the State.

Let advertisement be published in the official gazette of the State in Form No. 48 within a period of one month and simultaneously it is published in one English newspaper i.e., Times of India (Raipur edition) and one regional Hindi newspaper, i.e., Dainik Bhaskar having wide circulation in the area, where the registered office of the respondent Company is situated.

The original copy of the gazette notification and newspaper publications be presented before this Court on or before the next date of hearing.

List this matter in the week commencing 5th September, 2016.

Sd/-

Prashant Kumar Mishra,
Company Judge.

Anjani